an>

Title: Regarding the formation of village defense team at the Panchayat Level.

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।…(व्यवधान)

महोदय, मैं आज जिस संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं, वह निश्चित ही चिंतनीय व विचारणीय है।…(व्यवधान) महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से मजबूती देने का काम किया है, वह प्रशंसनीय है।…(व्यवधान) आज पंचायत स्तर पर चारों तरफ हो रहे विकास से ग्रामीणों में खुशी है, परंतु कुछ गंभीर मसले, विषय ऐसे हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना अति आवश्यक है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please do not disrupt the proceedings of the House. Please be seated.

… (*Interruptions*)

श्री प्रदीप कुमार सिंह: महोदय, साल 2004 में बिहार राज्य पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ, अनुच्छेद की धारा 33 के अनुसार दलपति के अधीन ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था।…(व्यवधान) रक्षा दल का गठन पंचायत स्तर पर किया गया।

किसी तरह की आकस्मिक घटना, आगलगी, महामारी, चोरी, डकैती, विधान सभा या लोक सभा चुनाव हो, उसमें भी उनसे काम लिया जाता है। विगत कुछ वर्ष और कोरोना में भी उनसे काम लिया गया।… (व्यवधान)